न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 28 / 2008

1 शिवकरण पुत्र दुदाराम।
2 शुभकरण पुत्र दुदाराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण भोजासर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 अधिशाषी अधिकारी।
2 सहायक अभियन्ता।
3 कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4 जगदीश प्रसाद पुत्र दुदाराम।
5 तीजा देवी बेवा जगदीश।
6 नरेन्द्र पुत्र जगदीश।
7 महिपाल पुत्र जगदीश।
8 रामदेई बेवा महावीर प्रसाद।
9 रामनिवास पुत्र महावीर प्रसाद।
10 सुरेन्द्र सिंह पुत्र महावीर प्रसाद।
11 किस्तुरी बेवा पन्ना।
12 बजरंग पुत्र पन्ना।
13 सीताराम पुत्र पन्ना समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण भोजासर तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री बेअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बउनवानी मुकदमा
श्विकरण वगैरह बनाम अधिशाषी अभियन्ता
मुकदमा नम्बर 80/2001 निर्णय व डिक्री
दिनांक 27.11.2007

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 80/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम भोजासर की भूमि खसरा नम्बर 231/2 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने इस तरफ भी गौर नही किया कि प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अदालत मातहत की मिसल पर जमीन जैर बहस का नक्शा व जमीन जैर बहस की जमाबन्दी की नकल पेश की जिसमें जमीन जैर बहस में कोई रास्ता नही बतलाया गया है। परन्तु इस के बावजुद अदालत मातहत ने गौर ना कर वाद वादीगण खारिज करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत में दिनांक 27.11.2007 को अदालत मातहत ने यह कहकर कि एक तरफा ही है इसमें शाहदत की कोई जरूरत

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं है। कागजात देख कर निर्णय पारित कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में कोई भी विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर वाद खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय चार लाईन में पारित कर दिया गया है विचारण न्यायालय द्वारा वाद व जवाब दावे के आधार पर 3 तनकीयात कायम की थी। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया है। विचारण न्यायालय में अपने निर्णय में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी 2047 से 2050 प्रस्तुत करना अंकित किया है किन्तु विवेचन में इसको विवेचित नही किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी को साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित किये जाने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर